न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 82/2014 निर्णय दिनांक : 16 – 11 – 201

1– जमनालाल पिता जोधराज जी मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा
2– भगतराम पिता जोधराज जी मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा
3– इन्द्र पुत्री जोधराज जी मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा
4– चान्दी पुत्री जोधराज जी मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा
5– हुलासीबाई पत्नी जोधराज जी मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— वादीगण

—: ब ना म :–

1– बगदीराम पिता नानुराम जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा
2– शान्तिलाल पिता नानुराम जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3– सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1– रोहीताश्व पंचोली एडवोकेट —— अभिभाषक वादी
2– प्रतिवादीगण की तरफ से —— एक तरफा कार्यवाही

—: निर्णय :—

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पिता व पति स्व. जोधराज ज पिता प्यारा जी मीणा ने दिनांक 2–6–83 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 से उनके खाते व कब्जे कास्त की साबीक आराजी संख्या 49/4 रकबा १।।) बीघा एक बीघा दस बीस्वा कृषि भूमि बिल एवज रूपये 1,500/रू. में खरीदी। जिस पर वादीगण के पिता व पति जोधराज जी काश्त करते चले आ रहे थे, जोधराज जी के देहान्त के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबीज होकर शान्ति पुर्वक बीना किसी अवरोध के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त साबीक आराजी सं. 49/4 रकबा १।।) बीघा एक बीघा दस बीस्वा के हाल सेटलमेन्ट में नये नम्बर आ. सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आ.सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर बने हैं। वादी ने वाद में यह भी अंकित किया कि हाल सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो ने गलती से या भुल वश उक्त आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आ.सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर को वादी सं. 1 से 4 के पिता व वादी सं. 5 के पति श्री जोधराज पिता प्यारा जी मीणा के नाम पर दर्ज नहीं कर वापस प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दिये हैं, जो गलत हे। जबकि उक्त आ.स. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आ. सं 64 रकबा 0.20 हैक्टर वादीगण के पिता जोधराज पिता प्यारा मीणा के नाम पर दर्ज होने चाहिये थे। जबकि वादीगण उक्त वादग्रस्त जमीन पर निरन्तर काबीज होकर शान्तिपुर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिये वादीगण को उक्त आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आ.सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

... जा रही है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग की गलती के कारण वादग्र
जमीन प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व
वादग्रस्त जमीन अपने नाम का फायदा उठा कर जमीन पर जबरन कब्जा करने व ज
को रहन कर खुर्द बुर्द करने की फीराक में है। इसलिये प्रतिवादी को उक्त कार्य करने
जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। वादीगण प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी सं. 3
वादग्रस्त जमीन उसके (वादीगण) के नाम पर दर्ज करने के लिये भी कहाँ तो उन्ह
न्यायालय में वाद पेश करने की कह कर बात टाल दी। इसलिये वादीगण को यह व
पेश कर वादग्रस्त आराजियात को वादीगण के नाम पर दर्ज करने की सहायता चाही है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रति
सं. 1 से 3 को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर दिनांक 1–3–2016 को प्रतिवादी सं.
की ओर से संजय खिमेसरा ने अपना वकालत नामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चा
प्रतिवादी सं. 2 बावजुद तामील उपस्थीत नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवा
अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजु
दिनांक 2–11–2017 को उपस्थीत नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर
हुवे पत्रावली को साक्ष वादीगण हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादीगण में स्वयं वादी सं. 1 जमनालाल ने व गवाह भंवरलाल पिता प्या
जी मीणा निवासी भगवानपुरा ने अपने अपने शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर अपने बयान
लेखबद्ध कराये हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने अपने वाद के साथ विक्रय पत्र
सम्वत 2031 से 2034 की जमाबन्दी, मीलान क्षैत्रफल, नई जमाबन्दी की नकल व जोधराज
का मृत्यु प्रमाण पत्र आदी पेश कर प्रदर्शीत करा कर अपनी साक्ष्य बन्द की। प्रतिवादीगण
के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई मोखीक
साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। बहस अंतिम सुनी गई। दोराने बहस वकील
वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यो व वादी के व गवाह के शपथ
पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 4 की ओर दिलया गया
जिसमें वादग्रस्त साबीक आराजी नं. 49/4 रकबा ११।) बीघा जमीन प्रतिवादी सं. 1 व 2
के नाम पर दर्ज हैं, जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दिनांक 2–6–1983 को जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र प्रदर्श 1 के द्वारा जोधराज पिता प्यार जी मीण निवासी भगवानपुरा को बेचान
कर विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यलय छोटीसादडी में पंजियन करा कर कब्जा जोधराज को
दिया गया है। उक्त साबीक आराजी सं. 49/4 ११।) बीघा के नये नम्बर आ.सं. 63 रकबा
0.11 हैक्टर व आ.सं.64 रकबा 0.20 हैक्टर बने हैं, यह प्रदर्श 3 मीलान क्षैत्रफल से साबीत
है। वकील वादीगण ने आगे बहस में निवेदन किया कि उक्त विक्रय पत्र के अनुसार
सेटलमेन्ट वालो को उक्त वादग्रस्त नये आराजी सं. 63 व 64 जोधराज के नाम पर दर्ज
हाने चाहिये थे परन्तु सेटलमेन्ट विभाग वालो ने नये आराजी सं. 63 व 64 पुनः प्रतिवादी
सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दिये हैं जो गलत हैं वर्तमान में आ.सं. 63 व 64 प्रतिवादी
सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हे गये हैं यह प्रदर्श 2 नई जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 से
साबीत हैं। जोधराज का स्वर्गवास हो गया हैं, उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 है।
वादीगण उसके वारीसान हैं। जिन्होने यह वाद पेश किया। वकील वादीगण ने अपनी बहस
में यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 जमीन वापस उनके नाम पर दर्ज हो
जाने के कारण वे वादग्रस्त आराजियात में जबरन मदाखलत मजाहमत कर वादीगण को
जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं व आराजियात को खुर्द बुर्द कर हस्तान्तरण
करना चाहते हैं जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिये वादीगण को उक्त
आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आराजी सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर का खातेदार
घोषित किया जाकर उक्त आराजियात को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर से हटाकर

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे व वादीगण को काश्त करने में बाधा नहीं पहुचा

वकील वादी की ओर से की गई बहस को ध्यान पुर्वक सुन कर पत्रावली का भ भाती अवलोकन कर पत्रावली पर मोजुद आई साक्ष्य व दस्तावेजो का गम्भीरता पु परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं की साबीक आराजी सं. 49/4 रकबा 1 बीघा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज थे। जो उन्होने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय प्रदर्श 1 के द्वारा वादीगण के पुर्वज जोधराज को बेचान कर कब्जा दे दिया था। जिस पहले जोधराज व जोधराज की मृत्यु के बाद वादीगण काबीज होकर काश्त करते चले रहे है। परन्तु सेटलमेंट में उक्त नम्बर पुनः प्रति.सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गये हैं गलत होकर सेटलमेन्ट विभाग की गलती व लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। जबकि उक उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 1 से जोधराज उक्त आराजियात का स्वामी हैं तथा जोधराज व मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण उसके एक मात्र स्वामी व मालीक है। वादीगण अपनी साक्ष्य से उक्त तथ्यो को साबीत किया है।

जबकि प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से खण्डन में कोई मोखीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी हैं जिससे वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मोखीक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डीत रही है। पत्रावली पर ऐसा कोई कारण मोजुद नहीं हैं जिसस वादीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं वि नये आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आराजी सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता कुल रकबा 0.31 हैक्टर वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की हैं जिस पर वे खरीदी कं दिनांक से निरन्तर काबीज चले आ रहे है। इसलिये वादीगण उक्त नये आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आराजी सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर के स्वामी व खातेदार घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते हैं तथा वादीगण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी पाये जाते हैं।

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर वादीगण को गाव भगवानपुरा पटवार हल्का अम्बावली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.) की आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आराजी सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी सं. 63 व 64 रकबा क्रमशः 0.11, 0.20 हैक्टर पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नहीं करे वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे व वादीगण को आराजियात में काश्त करने में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी सं. 3 को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि वह राजस्व रेकार्ड मे से आराजी सं. 63 रकबा 0.11 हैक्टर व आराजी सं. 64 रकबा 0.20 हैक्टर को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से हटा कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम पर दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करावे। उरोक्त अनुसार डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक /6- 11- 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी